महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय,
समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ–226 007

Website: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com **Email**: upefaspo@gmail.com **Phone**: 0522-2780995

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– प्री–प्राइमरी / ECCE Educator / 2392 /2025–26 दिनांकः– 07 / 07 /2025

विषयः **वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025–26 में प्राप्त अनुमोदन के कम में स्वीकृत 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में बालवाटिका कक्षा हेतु ई0सी0सी0ई0 एजुकेटर की सेवायें प्राप्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 81 / 2025 / I / 1006319 / 2025–68–5099 / 178 / 2024 दिनांक 27 जून 2025 (**संलग्नक–1**) का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025–26 में आवर्तक मद के अंतर्गत 8800 विद्यालयों में संचालित को–लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्रों / बालवाटिका में मानव संसाधन (ईसीसीई एजुकेटर) उपलब्ध कराये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

तद्क्रम में शासनादेश की प्रति संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि **शासनादेश संख्या 81 / 2025 / I / 1006319 / 2025–68– 5099 / 178 / 2024 दिनांक 27 जून 2025** में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 8800 को–लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों / बालवाटिका हेतु मानव संसाधन (ईसीसीई एजुकेटर) उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही जेम पोर्टल के माध्यम से **दिनांक 30 सितम्बर 2025** तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया

Kanchan

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याः प्री–प्राइमरी / ECCE Educator / / 2025–26 तद्दिनांक।

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0।
3. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
8. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय,

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ–226 007

समग्र शिक्षा Samagra Shiksha

निपुण भारत

Website: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com **Email**: upefaspo@gmail.com **Phone**: 0522-2780995

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– प्री–प्राइमरी / ECCE Educator / / 2025–26 दिनांकः– 07 / 07 / 2025

विषयः **वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025–26 में प्राप्त अनुमोदन के कम में स्वीकृत 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में बालवाटिका कक्षा हेतु ई0सी0सी0ई0 एजुकेटर की सेवायें प्राप्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 81 / 2025 / । / 1006319 / 2025–68–5099 / 178 / 2024 दिनांक 27 जून 2025 (**संलग्नक–1**) का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025–26 में आवर्तक मद के अंतर्गत 8800 विद्यालयों में संचालित को–लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्रों / बालवाटिका में मानव संसाधन (ईसीसीई एजुकेटर) उपलब्ध कराये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

तदक्रम में शासनादेश की प्रति संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि **शासनादेश संख्या 81 / 2025 / । / 1006319 / 2025–68– 5099 / 178 / 2024 दिनांक 27 जून 2025** में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 8800 को–लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों / बालवाटिका हेतु मानव संसाधन (ईसीसीई एजुकेटर) उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही जेम पोर्टल के माध्यम से **दिनांक 30 सितम्बर 2025** तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याः प्री–प्राइमरी / ECCE Educator / 2392 / 2025–26 तददिनांक।

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0।
3. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
8. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।

ECCE Educator		
Sl. No.	District Name	ECCE Educator
1	AGRA	160
2	ALIGARH	130
3	AMBEDKAR NAGAR	90
4	AMETHI	130
5	AMROHA	70
6	AURAIYA	80
7	AZAMGARH	220
8	BAGHPAT	60
9	BAHRAICH	140
10	BALLIA	180
11	BALRAMPUR	100
12	BANDA	90
13	BARABANKI	160
14	BAREILLY	160
15	BASTI	150
16	BHADOHI	70
17	BIJNOR	120
18	BUDAUN	160
19	BULANDSHAHR	160
20	CHANDAULI	90
21	CHITRAKOOT	60
22	DEORIA	170
23	ETAH	90
24	ETAWAH	90
25	FAIZABAD	120
26	FARRUKHABAD	80
27	FATEHPUR	140
28	FIROZABAD	100
29	GAUTAM BUDDHA NAGAR	40
30	GHAZIABAD	50
31	GHAZIPUR	170
32	GONDA	170
33	GORAKHPUR	210
34	HAMIRPUR (U.P.)	80
35	HAPUR (PANCHSHEEL NAGAR)	40
36	HARDOI	210
37	HATHRAS	80
38	JALAUN	90
39	JAUNPUR	220
40	JHANSI	90
41	KANNAUJ	90
42	KANPUR DEHAT	110
43	KANPUR NAGAR	100
44	KASGANJ	70

45	KAUSHAMBI	80
46	KUSHINAGAR	150
47	LAKHIMPUR KHERI	160
48	LALITPUR	70
49	LUCKNOW	90
50	MAHARAJGANJ	130
51	MAHOBA	50
52	MAINPURI	100
53	MATHURA	110
54	MAU	100
55	MEERUT	140
56	MIRZAPUR	140
57	MORADABAD	90
58	MUZAFFARNAGAR	100
59	PILIBHIT	70
60	PRATAPGARH	180
61	Prayagraj	210
62	RAE BARELI	210
63	RAMPUR	70
64	SAHARANPUR	120
65	SAMBHAL (BHIM NAGAR)	80
66	SANT KABIR NAGAR	100
67	SHAHJAHANPUR	160
68	SHAMLI (PRABUDH NAGAR)	40
69	SHRAWASTI	60
70	SIDDHARTHNAGAR	140
71	SITAPUR	200
72	SONBHADRA	80
73	SULTANPUR	130
74	UNNAO	160
75	VARANASI	90
Grand Total		**8800**

संख्या- 83/2025/I/1006319/2025-68-5099/178/2024

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 27 जून, 2025

विषयः **वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में बालवाटिका कक्षा हेतु ई0सी0सी0ई0 एजुकेटर की सेवायें प्राप्त किये जाने के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प्री-प्राइमरी/EECE Educator/1695/2025-26, दिनांक 09.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में बालवाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन (ई0सी0सी0ई0 एजुकेटर) का चयन जिला स्तर पर करने हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025-26 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में बालवाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन (ईसीसीई एजुकेटर) की सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 11360.448 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। तद्नुसार प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 8800 विद्यालयों में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों/बालवाटिका हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। उक्त मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर के रूप में संबंधित विद्यालयों के आंगनबाडी केन्द्र को विद्यालय की बालवाटिका कक्षा के रूप में विकसित करने एवं आंगनबाडी केन्द्रों में नामांकित 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे। ईसीसीई एजुकेटर संविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से आबद्ध किये जायेंगे। को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों/बालवाटिका में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु मानव संसाधन हेतु प्रस्ताव पर निम्नवत दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:-

(1) राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु शिक्षण प्रक्रिया, मानव संसाधन आदि से संबंधित बिंदुओं के निर्धारण हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0 की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- अभिभावकों के साथ मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने हेतु माताओं का अभिमुखीकरण करना।
- बच्चों के पृष्ठभूमि विकास आदि के इंडीकेटर्स से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना एवं उसके माध्यम से बच्चों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना।
- आंगनबाडी कार्यकत्री के साथ मिलकर आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु गुणवत्तापरक सीखने का वातावरण बनाना एवं गतिविधियों को सीखने को मुख्य आधार बनाकर कर कार्य करना।
- शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों, प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर प्रतिभाग करना।
- विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी को ईसीसीई से संबंधित कार्यों में संलग्न किया जाये। फलस्वरूप आंगनबाडी केन्द्रों/बालवाटिका में नामांकित बच्चों के साथ उपरोक्तानुसार दिये गये कार्यों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता किया जायेगा, जिसका अनुश्रवण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा।
- संबंधित कर्मी की कार्यावधि विद्यालय समय सारिणी के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) सामान्य निर्देश :-

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति गठित की जायेगी-

- जिलाधिकारी -अध्यक्ष
- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान -सदस्य
- जिला कार्यक्रम अधिकारी -सदस्य
- जिला सेवायोजन अधिकारी -सदस्य
- वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा -सदस्य
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी -सदस्य सचिव

उक्त समिति सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या- 57/18-2-2-2024-97 (ल०उ०)/2016, दिनांक 26.11.2024 में निहित प्राविधानों एवं दिये गये निर्देशों के अनुरूप जेम पोर्टल से चयनित सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से (आउटसोर्सिंग के माध्यम से) ईसीसीई एजुकेटर का चयन किया जायेगा। उक्त सभी चयन किसी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किये जायेंगे।

शासनादेश दिनांक 26 नवम्बर 2024 के प्रस्तर-34 में दिये गये निर्देशों के अनुसार सेवाप्रदाता संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये नये भर्ती किये जाने वाले कार्मिकों की संख्या सेवायोजन पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष एक कर्मी के रिक्तियों के सापेक्ष एक कर्मी के लिये पोर्टल से पांच आवेदनकर्ताओं को, और दो या दो से अधिक कर्मियों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समिति की मुख्य संस्तुतियों के आधार पर मानव संसाधन के अवस्थापन आदि का निर्धारण करते हुए निविदा पर सेवाप्रदाता के माध्यम से चयन किया जयेगा।

(2) प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 8800 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाडी केन्द्रों/बालवाटिका हेतु प्रति केन्द्र 01 ईसीसीई एजुकेटर संविदा पर (आउटसोर्सिंग के माध्यम से) मानदेय रू0 10313/- प्रति माह के आधार पर अधिकतम 11 माह हेतु रखा जाय। उक्त पर चयन हेतु निम्नवत् अर्हताएं निर्धारित हैं-

पद का नाम	:-ईसीसीई (Early Childhood Care and Education)एजुकेटर
पदों की संख्या	:-8800
नियुक्ति स्थान	:-75 जनपद अवस्थित को-लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्र युक्त 8800 विद्यालय
नियुक्ति का प्रकार	:-संविदा (आउटसोर्सिंग के माध्यम से)
संविदा अवधि	:-अधिकतम 11 माह
मानदेय	:-10313/- प्रतिमाह (पीएफ+ईएसआई सहित)

(3) शैक्षिक योग्यता :-

- विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी।

  अथवा

  नर्सरी अध्यापक शिक्षा/एन0टी0टी0/सी0टी0(नर्सरी)/डी0पी0एस0ई0 का कम से कम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्य हो।
- आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक न हो।

(4) ईसीसीई ऐजुकेटर्स का कार्य एवं दायित्वः-

- आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना।
- आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनबाडी कार्यकत्री को उक्त की सम्प्राप्ति में सहयोग प्रदान करना।
- आयुवर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण यथा पेड-पौधे, पक्षी, जानवरों आदि से संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना।
- आंगनबाडी कार्यकत्री को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों यथा खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के कार्य आदि हेतु कार्ययोजना बनाते हुए कार्य करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की मांग पर तीन गुना आवेदनकर्ताओं, पर न्यूनतम दस आवेदनकर्ताओं में से चयन एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर किया जायेगा।

(7) चयन प्रक्रिया एवं दक्षता प्रमाणीकरणः-

1. सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध करायी सूची में अंकित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं चयन हेतु जनपद स्तर पर निम्नलिखित समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है-

- जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी - अध्यक्ष
- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, संबंधित जनपद - सदस्य
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, संबंधित जनपद - सदस्य सचिव
- जिला कार्यक्रम अधिकारी, संबंधित जनपद - सदस्य
- जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य दो सदस्य - सदस्य

2. उक्त समिति द्वारा सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्रों का मूल अभिलेखों का मिलान करते हुए सत्यापन किया जायेगा।
3. सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जायेगी। मेरिट सूची हाईस्कूल, इंटर, स्नातक/ डीपीएसई/एनटीटी एवं संबंधित डिप्लोमा (शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अर्हता के आधार पर) के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगा। यदि दो या दो अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांक के योग का औसत समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। यदि आयु में भी समानता होगी तो ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जायेगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के दो अंको में पूर्णांकित (Roundoff) किया जायेगा।
4. <u>विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंगः-</u> इस प्रकार तैयार मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 1 में अंकित अभ्यर्थी के सम्मुख जनपद के उन सभी विद्यालयों की सूची जिनमें को-लोकेटेड केन्द्र है (जनपद के लक्ष्य के सापेक्ष विद्यालयों की संख्या निर्धारित की जायेगी) चयन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। संबंधित द्वारा विद्यालय चयन करने के पश्चात वह विद्यालय सूची में लॉक करते हुए अगले अभ्यर्थी के सम्मुख अवशेष सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालय का चयन कराया जायेगा। उक्त काउंसलिंग का कार्य भी उपरोक्तानुसार बिंदु संख्या 1 में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
5. उक्तानुसार चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा प्रदान किया जायेगा।
6. चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने के संबंध में सेवाप्रदाता संस्था द्वारा सहमति प्रदान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्तानुसार चयन संबंधी किसी भी प्रकार की विसंगति/शिकायत संबंधी प्रत्यावेदन पर विचार एवं निर्णय हेतु जिलाधिकारी के सम्मुख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा एवं जिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण कराया जायेगा।

3- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन/स्वीकृत के क्रम में परिषदीय प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में अवस्थित को-लोकेटेड 8800 आंगनबाड़ी केन्द्रों/बालवाटिका में आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु ई0सी0सी0ई0 एजुकेटर की सेवायें संविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से आबद्ध करने की प्रक्रिया को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि उक्त सभी चयन किसी भी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किये जायेंगे ।

भवदीय,
आनन्द कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- समस्त जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी एवं उपाध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, उत्तर प्रदेश ।
5- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ ।
6- समस्त प्राचार्य, डायट, उ0प्र0 ।
7- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश ।
8- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।